राजेश रंजन यादव और पप्पु यादव

बनाम

सी. बी. आई. जरीये निदेशक

30 नवंबर, 2007

[एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

जमानत-आवेदन खारिज किया गया। जमानत पर रिहा होने का कोई मामला नहीं बनता -अभियुक्त द्वारा पहले भी सामान आधारों पर कई जमानत याचिकाएं दायर की गई थीं। जिन्हे उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी अभियुक्त के पिता का निधन वास्तव में उसे जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाता है। विशेष रूप से जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए थे-बचाव पक्ष के गवाहों की अनुपस्थिति के कारण साक्ष्य पूरा नहीं हुआ या अन्य आधारों पर उनके द्वारा स्थगन की मांग करने के कारण। स्वास्थ्य कारणों से भी रिहा किया जाना न्याय उचित नहीं है। क्योंकि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही थी। हालांकि, संबंधित अधिकारियों को उसे वीडियो कान्फेस सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। उपस्थित चिकित्सकों द्वारा जारी किये गये। निर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के निर्देश भी जारी किये गये है। अभियुक्त-अपीलार्थी ने इस आधार पर जमानत याचिका दायर की कि वह सात साल से अधिक समय से हिरासत में है और उसका जेल में

आचरण अनुकरणीय रहा है; कि अपने पिता की मृत्यु के कारण, वर्तमान प्रकरण को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई उपलब्ध नहीं था। मामला; कि कोई दंडात्मक साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं आया था जो उसे उचित ठहराता हो निरंतर कारावास; कि इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद समय-समय पर, परीक्षण पूरा होने के करीब नहीं था; और अंत में उनकी चिकित्सा स्थिति के लिए परिष्कृत जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता थी जो जेल के बाहर ही संभव था। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि जमानत में से एक को खारिज करते हुए उनके द्वारा दायर आवेदनों को निचली अदालत को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि बचाव पक्ष के गवाहों से दिन-प्रतिदिन के आधार पर पूछताछ की जाए। एक निश्चित समय अनुसूची के अनुसार ताकिपरीक्षणपूरा हो जाए जितनी जल्दी हो सके और फैसला सुनाया गया। हालांक, यथासंभव शीघ्रता से निर्णय सुनाया गया, सी बी आई की ऐसी से वेटी की प्रवृति के कारणबचाव साक्ष्य अब तक पूरा नहीं हुआ था ऐसी परिस्थिति में, उसे जमानत पर रिहा करना उचित होगा। उन्हे मुकदमें की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए वी.सी.सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया था लेकिन उन्हे उक्त सुविधाए उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, और चुकि उसका वहन बहुत अधिक था, इसलिए उन्हें कुछ आक्रामक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ा जो विशेष देखभाल और नर्सिंग की आवश्यकता थी जो अपीलकर्ता के हिरासत मे रहने के दौरान उपलब्ध नहीं कराई जा सकी प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि

विचारण के पूरा होने में देरी, यदि कोई हो, विचारण न्यायालय में अपीलकर्ता द्वारादायर किए उनके द्वारा दायर आवेदनों की संख्या के कारण थी विचारण न्यायालय में अपीलार्थी एक या अन्य जानकारी मांगता है यागवाहों को वापस बुलाना; कि सी. बी. आई. ने 7.6.2006 पर अपना साक्ष्य पूरा कर लिया था और बचाव पक्ष के 43 गवाहों की सूची उनके द्वारा दी गई थी। अभियुक्त के कहने पर या शेष बचाव साक्ष्य की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मामले को बार बार स्थगित किया गया था। गवाह कि सीआरपीसी की धारा 273 और 317 के परिपेक्ष्य में मुकदमा चल सकता है। भले ही कोई अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो और ऐसे में इस अदालत द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि इस तथ्य के बावजुद कि वीसी सुविधा व्यवस्थित नहीं थी। न्यायालय द्वारा दिया जाना अदालत को आगे बढ़ना चाहिए और सुनवाई को पूरा करें; कि अपीलार्थी को दिल्ली में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भेजा गया था। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने तय किया इन तथ्यो के प्रकाश लनगभग समान मुद्दों वाले पक्ष द्वारा दायर याचिकाए खारिज कर दी गई है, जमानत पर किसी और के लिए कोई मामला नहीं बनता है, और या कि अपीलकर्ता के पिता के निधन का भी वास्तव में या मतलब नहीं है कि उन्हे विशेष रूप से अंतिम संस्कार कियाकम के कारण गंभीर आरोप के मामले रिहा कर दिया जाना चाहिए में जो जमानत आवेदन दायर किए गए थे [720 ए जी]

अपीलार्थी द्वारा लगभग समान मुद्दे उठाए जाने को खारिज कर दिया गया है, जमानत पर रिहाई के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है; और यह कि मृत्यु अपीलार्थी के पिता का भी वास्तव में यह मतलब नहीं है कि उन्हें होना चाहिए विशेष रूप से गंभीर आरोपों के कारण जमानत पर रिहा किया गया उसके खिलाफ। [पैरा 2] [720-एफ, जी]

1.2. यह उन आदेशों से स्पष्ट है जिन्हें रिकॉर्ड में रखा गया है और सी. बी. आई. की ओर से राजेन्द्रन यादव और पी. ए. पी. पी. यू. यादव बनाम द्वारा शपथ लिया गया अतिरिक्त जवाबी हलफनामा। इसके निर्देशक के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी. बी. आई. ने कहा कि बचाव पक्ष द्वारा बार बार मांग के कारण बचाव साक्ष्य के साक्ष्य पूरा नहीं किया गया था स्थगन या बचाव पक्ष के गवाह उपस्थित नहीं थे द्वारा विचारण न्यायालय के आदेशो के अवलोकन से यह पता चलता है कि बचाव पक्ष इस मामले में टालमटोल कर रहा है व बचाव पक्ष साक्ष्यो को अनपे निष्कर्ष पर आगे [पैरा 5] [722-डी, ई, एफ]

1.3. यह सच है कि कुछ मौकों पर मुकदमे को स्थगित कर दिया गया था जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि स्थगन बहुत हद तक किया गया था सह-अभियुक्त या अपीलार्थी द्वारा किसी ना किसी बहाने से मांगी गई। [पैरा 5] [722-एफ]

2.1. अपीलार्थी के चिकित्सीय कागजात अब तक मेडिकल आधार पर भी जमानत पर रिहाई को उचित नहीं ठहराते है, खासकर सभी चिकित्कीय सुविधाएं् जेल अधिकारीयो द्वारा उन्हे उपलब्ध कराई जा रही है। [पैरा 7] [723-बी, सी]

2.2 . निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैंः

(1) द्वारा अपीलकर्ता को वीसी सुविधाएं प्रदान के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन दण्ड की धारा 273 व उसके आलेाक में यदि वे उपलब्ध नहीं है तो मुकदमा अपने निष्कर्ष् पर जाएगा।

(2) कि वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं की स्थिति में अपीलकर्ता को प्रत्येक दिन एक वीसी में अलावा उपरोक्त सुविधा के माध्यम से अपने वकील तक पहुच की अनुमति दी जाएगी, उक्त परीक्षण एक में दलीले आगे बढेगी।

(3) कि तिहाड़ जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता के संबंध में उपस्थित चिकित्सकर्मी द्वारा जारी सभी निर्देशो की ईमानदारी से पालन किया जाएगा।

(4) क्या अपीलार्थी की चिकित्सीय स्थिति के वाद के चरण में न्यायालयो से ओर आदेशो की आवश्यकता होगी, वह फिर से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा। [पैरा 7] [723-सी, डी, ई, एफ]

में

2006 की आपराधिक अपील सं. 1172

जमानत के लिए आवेदन और अपीलकतार् को उपिसथत होने की अनुमति के लिए आवेदन अपराधिक अपील सं. 1172/2006 में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते है।

राकेश कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार और प्रेम मल्होत्रा अपीलाकतार् सी प्रतिवदियों के लिए ए. शरण, ए. एस. जी., अमित आनंद तिवारी और पी. परमेश्वरन द्वारा न्यायालय का आदेश दिया गया

आदेश

हरजीत सिंह बेदी, जे. 1. जमानत के लिए यह अर्जी दी गई है निम्नलिखित आधारों पर सीधे इस अदालत में दायर किया गयाः

(1) कि अपीलकर्ता सात से अधिक समय से हिरासत में है वर्षों से और जेल में उनका आचरण अनुकरणीय रहा है;

(2) कि उसके पिता की मृत्यु के कारण उसका कोई नहीं है वर्तमान मामले को आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए उसके पास उपलब्ध रहें,

(3) कि उसकी निरंतर कैद को उचित ठहराने वाला कोइर् भी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं आया है,

(4) समय-समय पर इस न्यायालय के आदेशों के बावजूद मुकदमा चलाया गया पूर्णता के निकट हीं नहीं और अंततः

(5) कि उनकी चिकित्सीय स्थिति के लिए परिष्कृत जीवन रक्षक उपचार की आवश्यकता थी जो केवल जेल के बाहर ही संभव था।

2. हमारी राय है कि इन तथ्यों के आलोक में कि अपीलकर्ता द्वारा लगभग समान मुद्दों को उठाने वाली कइर् जमानत जी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं जमानत पर रिहाई का कोई मामला नहीं बनता है। हमारी यह है राय है कि अपील कर्ता के पिता के निधन का भी वास्तव में यह मतलब नहीं है कि उन्हें विशेष रूप से उनके खिलाफ गंभीर आरोपों के कारण जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इसलिए हमारे पास अंतिम दो बिंदु बचे है।

3. अपीलकर्ता के वकील श्री राकेश कुमार सिंह ने बहुत दृढ़ता से आग्रह किया है कि राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव बनाम सी. बी. आई में अपने निदेशक के माध्यम से इस न्यायालय के निर्देशो के बावजुद [2007] 1 एस. सी. सी. 70 में से एक को खारीज करते हुए अपीलकर्ता द्वारा दायर जमानत याचिका में कहा गया है कि टायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना था कि बचाव पक्ष के गवाहो की जांच एक निश्चित समय-सारणी के अनुसार दिन- प्रतिदिन के आधार पर कि जाए ताकि सुनवाई यथासंभव शी्घता से पुरी हो सके और फैसला सुपनाया जा सके सीबीआई

की ओर से देरी की रणनीति के कारण बचाव साक्ष्य अब तक पुरे नहीं हुये है और इसलिए यह उचित होगा कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए। यह भी बताया गया है कि एक निर्देश भी जारी किया गया था कि एक चूकिं अपीलकर्ता दिल्ली कि तिहाड जेल में बंद था और मुकदमा पटना में चल रहा था इसिलए अपीलकर्ता को कायर्वाही की निगरानी करने में सक्षम बनाने के लिए वीडियो काॅन्फेंस की सुविधा प्रदान कि जानी चाहिए परीक्षण में लेकिन उपकरण डी खराब हो जने के कारण उन्हे उक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि अपीलकर्ता पूरी तरह से रात भर में भा, उसे कुछ आ्रकामक सर्जिकल प्रकिया से बुजरना पडा जिसके लिए विशेष देखभाल और देखभाल की आवश्यकता भी जो कि अपीलकर्ता के हिरासत में रहने के दौरान उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। अपीलकर्ता की चिकित्सा स्थिति के समर्थन में कइर् दस्तावेज अदालत में हमे सौपे गए है।

4. जवाब में सीबीआई की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।और ए. एस. जी के रूप में श्री ए.शरण ने हमारा ध्यान संलग्न संलग्नको की और आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि मुकदमे के पुरा होने में देरी यदि कोइर् हो तो हुई थी टायल कोर्ट अपीलकर्ता द्वारा एक या अन्य जानकारी या गवाहो को वापस बुलाने के लिए बार-बार दायर किए गए आवेदनों का लेखा- जोखा और इस तरह यह कहना उनके लिए उचित नहीं था कि मुकदमें में अत्यधिक देरी हो रही थी।

उन्होंने यह भी बताया कि सी. बी. आई. ने 7.6.2006 को अपना साक्ष्य पूरा कर लिया था और अपीलकर्ताय द्वारा 43 बचाव गवाहों की एक सूची द्वारा दी गई थी जिसमें से केवल कुछ ही जांच की गई थी और मामले में मंगलवार को बार-बार सुनवाई हुई थी। अभियुक्तो की या शेष बचाव पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उन्होने यह भी कहा है कि सीआरपीसी की धारा 273 और 317 के आलोक में मुकदमा तब भी जारी रह सकता है, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न हो और ऐसे निर्देश दिए जाएं।

इस अदालत को यह जानकारी देनी चाहिए कि इस तथ्य के बावजुद कि विडियो कोन्फ्रेंस की सुविधा बंद है, अदालत को आगे बढना चाहिए और सुनवाई पूरी करनी चाहिए। उन्होने यह भी दलील दी हैकि अपीलकर्ता को यकीनन दिल्ली सानी पूरे भारत में सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधा के लिए भेजा गया था। आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और उन्हे उनकी आवश्यकताओ के अनुसार सभी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।

5. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड को बहुत ध्यान से देखा है। उद्धृत मामले में यह देखा गया है कि अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय और इस न्यायालय में बिना सोचं-समझे जमानत याचिका दायर की थी और यह कानूनी प्रकिया को दुरूपयोग था और तदनुसार आदेश दिया गया था कि उसकी ओर से कोई और जमानत याचिका दायर

नहीं की जाएगी। किसी भी न्यायालय द्वारा विचार किया गया। इसके बाद उपरोक्त मामले में समीक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था और 27.4.2007 को केवल इस हद तक अनुमति दी गई थी कि " कोई भी अवसर उत्पन्न होने पर, याचिकाकर्ता जमानत देने के लिए इस न्यायालय में जा सकता है। वर्तमान आवेदन एक महिने के भीतर दायर किया गया है उस तारीख को, डी अभी भी लगभग समान मुद्दो को उठाने वाले आवेदनो की श्रृंखला की एक और निरंतरता है जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है, हालाकि, चूकिं कुछ अतिरिक्त बिन्दु उठाए गए है, हमें उनसे भी निपटना चाहिए। यह आदेशो से स्पष्ट है इसे रिकॉर्ड पर रखा गया है और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त जवाबी हलफनामें में श्री प्यारे लाल ई. मीना, अटोनल पुलिस अधीक्षक, सीबीआई ने शपथ जी है कि बचान पक्ष ने अक्सर स्थगन की मांग कि भी, बचान पक्ष के गवाहो ने ऐसा किया था। उपस्थित नहीं थे। 2.5.2007 से 20.9.2007 तक टायल कोर्ट के जिम्नी आदेशो के अवलोकन से हमें पता चला कि मै मामले में टालमटोल कर रहा हूं और बचाव की अनुमति नहीं दे रहा हू। यह सच है कि कुछ मौको पर विडियो कोन्फेस सुविधा की अनुपलब्धता के कारण मुकदमे को स्थगित कर दिया गया था, जबकि रिकॉर्ड से पता चला है कि स्थगन की मांग बडे पैमाने पर या तो सह-अभियुक्त अनिल कुमार यादे या अपीलकर्ता द्वारा की गई थी। बहाना या अन्य यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा गवाहो को वापस बुलाने के लिए भुगतान करते हुए

सैलिसेलेनियस आवेदन दायर किए गए है और चूंकि उन्हे अपील/पुनरीक्षण के माध्यम से उच्च न्यायालय में मामलो को खारिज कर दिया गया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील श्री राकेश कुमार सिंह ने हांलाकि प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता केवल अनपे कानूनी अधिकारो का प्रयोग कर रहा था। अपने कानूनी अधिकारो का प्रयोग करने में पूरी तरह से न्यायासंगत है, लेकिन फिर उसे यह कहना उचित नहीं है कि मुकदमे में अनावश्यक देरी हो रही है। दुसरी और जैसा कि हुआ है कानून के अनुसार और इसलिए उस खाते में कोई गलत नहीं की जा सकती। हम विद्वन वकील से इस हद तक सहमत है कि अपीलकर्ता के बारे में पहले ही डपर उल्लेख किया जा चुका है, बचाव साक्ष्य को पूरा करने के लिए बार-बार स्थगन लिया गया है जबकि श्री शरण ने इसके विपरीत बी बयान दिया है कि सी.बी.आई. इसके शुरू होने के एक सप्ताह के भीतर अपनी दलीले पूरी कर लेगा।

7. हमने अपीलकर्ता के मेडिकल कागजात को भी ध्यान से देखा है जो अदालत में हमारे सामने पेश किए गए है। हमारी राय है कि वे अभी मेडिकत सी आधार पर भी उसकी जमानत पर रिहाई को उचित नहीं ठहराते है, खासकर जेल से उसे सभी सुविधाए उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम तदनुसार आवेदन को खारिज करते है लेकिन ऐसा करते समय निम्नालिखित निर्देश जारी करते है

(1) अपीलकर्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगर, लेकिन सीआरपीसी की धारा 273 और 317 के आलोक में, मुकदमा अपने निष्कर्ष पर पहुचेगा, भले ही वे उपलब्ध न हो;

(2) वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधाओं उपलब्ध होने की स्थिति में, अपीलकर्ता को मुकदमें में अंतिम बहस आगे बढने के लिए प्रत्येक दिन उक घंटे के अतिरिक्त सुविधा के माध्यम से अपने वकील ई तक पहुच की अनुमति दी जाएगी।

(3) तिहाड़ जेल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपीलकर्ता के संबंध में उपस्थित डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशो का ईमानदारी से पालन किया जाएगा; और

(4) यदि अपीलकर्ता की चिकित्सीय स्थिति के लिए बाद के चरण में न्यायालयो से अगले आदेशो की आवश्यकता होती है, तो वह फिर से इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा।

एसकेएस. जमानत अर्जी खारिज. जी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दीप्ति स्वामी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।